


FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर का मुकाम बायव

चन्दनमाल बनाम खंगार निरं वगैरे

किस्म मुकदमा राजस्थान नं. 181/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/6/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>प्रगतीश गौरा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>16/08/21</u> को पेश हो।</p>	
16/08/2021	<p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी</u></p> <p><u>जानों के नोटिस तामिल सुडा</u></p> <p><u>पाल जिसे शामिल पत्रावली किना</u></p> <p><u>गण/सम्पन पत्रावली कीधकारी वास</u></p> <p><u>दोहरा डिगल जमाने के पत्रावली देने</u></p> <p><u>के सिवाल इलतक डोडर अजगामी</u></p> <p><u>दिनांक- 24/11/2021 को पेश हो।</u></p>	<p><u>11</u></p> <p><u>सहायक कलेक्टर</u> <u>(300) बायव</u></p> 

24/11/21

पार्थी वहील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित।
पीपल पीठालीन अधिकारी प्रशासन गाँवो के संग
अभिमान-2021 में व्यय होने से मिशाल इलतवा
दोहा आगामी दिनांक-02/12/2021 को पैरा 2/1

02/12/21

पञ्जावली राज प्रशासन गाँवो के संग अभिमान-
2021 के मध्य राज्य पंचायत डुडो की ढाली में रखी गई
पार्थी वहील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित। पार्थी
के अधिकार की बहाल खुनी गई, पार्थी के अधिकार डाल
बालाग की पार्थी व विपार्थीगणों की ज्यादाारी कृषि सेवा
सेठ मार डई है। पार्थी व विपार्थीगणों के घेतो के मध्य जो
पुरानी मोठे व उठो आये हुए थे जो वर्तमान में माधिमो
की वजह से विचार जये है। जिससे पार्थी को अपने घेत
के सेठो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है घेत के सेठो
को लेकर पार्थी व विपार्थीगणों के बिच डमेका तनाजा
बना रहला है। पार्थी को अपने घेत के सेठो का सही
ज्ञान डरने हेतु नैयमबन्दी डरवानी आवश्यक है इस
लिए पार्थी का नैयमबन्दी आवेदन स्वीकार विच जाडर
नैयमबन्दी आवेदन विच जावें।

अतः पार्थी अधिकार के निवेदन पर
पार्थी का नैयमबन्दी आवेदन स्वीकार विच जाडर
तटसीलडर बाधु को डमिशान निधुन विच जाला है व
आवेका डिमा जाला है कि कोय स्वयं या अपने अधि-
नय विमी भी भू ममिलेय निरिडर से पार्थी के
ज्यादेदारी घेतो की पक्की नैयमबन्दी मोडे पर डमिशान
शुल जमाडारा डरें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
आमिल पञ्जावली है पञ्जावली जेसल सुभा डोडा डर
नाबर से डम है दाखिल पदल है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2021 /
प्रार्थी

1448

बनाम

दिनांक:- 21/2/24
विप्रार्थीगण

1. चन्दनमल भंसाली पुत्र भूरचन्द वगैरा 7
जाति ओसवाल, निवासी बायतु चिमनजी
पटवार मण्डल बायतु चिमनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)
1. खंगारसिंह पुत्र जालमसिंह वगैरा 16
जाति राजपुत, नि. कोलु
पटवार मण्डल कोलु
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 181/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - कोलु, पटवार मण्डल - कोलु, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 173, 1028/175 रकबा क्रमशः 3.5192, 7.7664 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु
दिनांक:- 21/2/24

कमांक / वाद / 2021 / 1449-53
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

- 1 तहसीलदार बायतु
- 2 पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- 3 प्रार्थी श्री चन्दनमल भंसाली पुत्र भूरचन्द वगैरा 7
- 4 विप्रार्थी श्री खंगारसिंह पुत्र जालमसिंह वगैरा 16
- 5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु